न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **334/2021** दायर दिनाँक **17.12.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. झूमरराम पुत्र भागुराम उम्र 54 वर्ष जाति मेघवाल निवासी नूंवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **28.04.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद नूंवा पुराना खेत खसर सं0 604/360 रकबा 08 बीघा व खसरा सं0 603/360 रकबा 0.06 बीघा जिसके वर्तमान खसरा सं0 623/759 रकबा 1.2900 हैक्टे0 व खसरा सं0 623/758 रकबा 0.05 हैक्टे0 गै0 मु0 रास्ता है।

यह है कि गत खेत खसरा सं0 604/360 रकबा 08 बीघा के उत्तर पश्चिम में खसरा सं0 603/360 रकबा 0.06 बीघा गै0 मु0 रास्ता का नक्शा ट्रेस में सीधी0सं0 लाईन से राजसव रेकर्ड में दर्शाया गया था तथा वर्तमान खसर सं0 623/578 गै0 मु0 रास्ते को मौके पर घुमावदार बना दिया गया है। जबकि वर्तमान नक्शा में उक्त रास्ता को घुमावदार किसके आदेश से किया, उक्त आदेश का उल्लेख नही है, जबकि मौके पर रास्ता आज भी पुराना खसरा सं0 603/360 की भूमि के ट्रेस नक्शा के अनुसार सीधा ही है।

यह है कि वादी ने वाद के साथ सुविधा के लिए गत खसरा सं0 604/360 व 603/360 व वर्तमान खसरा सं0 623/759 व 623/758 के ट्रेस नक्शा को नजरी नक्शा में दर्शाया गया है, जो दावा का अहम हिस्सा है। जो अनुसूचि "अ" है।

यह है कि नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" में गत खसरा सं0 604/360 व 603/360 जो कि मार्क क है, जबकि वर्तमान खसरा 0 623/759 व 623/758 जो मार्क ख से दर्शाया गया है के ट्रेस नक्शा में नजरी नक्शा अनुसार मार्क एक्स से वाई घुमावदार रास्ता अंकित कर दिया गया। जबकि आज भी मौके पर अनुसूचि "अ" में मार्क "क" के अनुसार ही उत्तरी—पश्चिमी सीमा पर कोई घुमावदार रास्ता नही है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

कि गत खेत खसरा सं0 604/360 रकबा 08 बीघा व खसरा सं0 603/360 रकबा 0.06 बीघा जिसके वर्तमान खसरा सं0 623/758 रकबा 0.05 हैक्टे0 गै0 मु0 रास्ता भूमि की नक्शा ट्रेस में उत्तरी पश्चिमी सीमा से घुमावदार रास्ता को सीधा किये जाने की घोषणा की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में भी दुरूस्ती की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया व तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 272 दिनांक 11.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिस बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। वादी तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पर सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

अतः तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम नूवां के गत खेत खसरा सं0 604/360 रकबा 08 बीघा व खसरा सं0 603/360 रकबा 0.06 बीघा जिसके वर्तमान खसरा सं0 623/758 रकबा 0.05 हैक्टे0 गै0 मु0 रास्ता भूमि की नक्शा ट्रेस में उत्तरी पश्चिमी सीमा से घुमावदार रास्ता को सीधा किये जाने की घोषणा की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **28.04.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **334/2021** दायर दिनाँक **17.12.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. झूमरराम पुत्र भागुराम उम्र 54 वर्ष जाति मेघवाल निवासी नूंवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **28.04.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम नूवां के गत खेत खसरा सं0 604/360 रकबा 08 बीघा व खसरा सं0 603/360 रकबा 0.06 बीघा जिसके वर्तमान खसरा सं0 623/758 रकबा 0.05 हैक्टे0 गै0 मु0 रास्ता भूमि की नक्शा ट्रेस में उत्तरी पश्चिमी सीमा से घुमावदार रास्ता को सीधा किये जाने की घोषणा की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.04.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:11 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner